यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 7 राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 7 राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री सलीम खान, वरि. ले.प., श्री मनोज कुमार सिसोदिया, पर्यवेक्षक एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2020 से 20.07.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 14.10.2019 से 22.10.2019 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ---- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - मौहब्बेवाला, देहरादून।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	31412.51
2018-19	36101.08
2019-20	21594.31

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
			शून्य			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
			शून्य		

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त राज्य कर> अपर आयुक्त राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर >सहायक आयुक्त राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-7 राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 7 राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: 03/2020 विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------ (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 अर्थदण्ड का अनारोपण ` 8.67 लाख

प्रस्तर-2 ` 13,21,955.00 कम कर आरोपणीय किये जाने से राजस्व क्षति।

प्रस्तर-3 ` 1,88,199.00 कम कर आरोपित करने से राजस्व क्षति

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर-1 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 8.67 लाख

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ₹ 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹ 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी। उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)**

(ii) यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा। **(दिनांक 31.03.2015 से)**

(iii) यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा। **(दिनांक 31.03.2015 से)**

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-07 राज्य कर देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया की निम्नलिखित व्यौहारी के कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा देयकर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया हैः-

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	व्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`)	जमा करने की निर्धारित तिथि	जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	न्यूनतम अर्थदण्ड (कर का 5% or 20%)
2	M/S S.C jonson (TIN.05001554644)	2016-17		739072 (20%)	20.7.2016	5.10.2016	2 month 25 days	147814
5	M/s Vadilal enterprises TIN-0500104848	2015-16	05-15	792642 15888 (5%)	20/6/2015 20/2/2016	22/6/2015 23/2/2016	2days 3days	39632 794
6	M/s PPG Asian paints TIN-05007016423	2016-17	05-16 07-16 08-16 09-16 01-17 09-16 (केंद्रीय कर) 10-16 (केंद्रीय कर)	1182124 1077278 1192368 1389063 16582 9710 92893 (5%)	20/06/2106 20/08/2016 20/09/2016 20/10/2016 20/02/2017 20/10/2016 20/11/2016	21/06/2016 24/08/2016 21/09/2016 22/10/2016 28/02/2017 24/10/2016 28/11/2016	I days 4days 1days 2days 8 days 4 days 8 days	59106 53864 59618 69453 829 486 2645
8	M/S National Hardware Agenies Deharadun (TIN.05000583577)	2016-17	05/16 06/16 09/16 10/16 01/17 02/17 07/16 03/17 05/16 06/16 07/16 09/16 01/17 02/17	902511 869735 1113057 1531060 1686890 1173402 80100 10081 38711 41403 44050 17760 4939 30125	20/06/2016 20/07/2016 20/10/2020 20/11/2016 20/02/2017 20/03/2017 20/08/2016 20/04/2016 20/06/2016 20/07/2016 20/08/2016 20/10/2016 20/02/2017 20/03/2017	22/06/2016 27/07/2020 27/10/2016 22/11/2016 27/02/2017 24/03/2017 24/08/2016 17/05/2017 22/06/2016 27/07/2016 05/09/2016 27/10/2016 22/02/2017 24/03/2017	2days 7days 7days 2daya 7daya 4 days 4days 27days 2 days 7 days 15 days 07 days 02 days 04 days	45126 43487 55653 76553 84345 58670 40050 504 1936 2070 2203 888 247 1506
	Do-	2016-17	12/16 03/17	72653 23155 (20%)	20/1/2017 20/4/2016	17/5/2017 30/10/2017	68days 190days	14531 4631
								866641/-

अतः विलंब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹8.67 लाख का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त बिन्दु के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा बिलम्ब से कर जमा किया गया है. जिस पर पृथक से अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 2 ₹13,21,955.00 कम कर आरोपणीय किये जाने से राजस्व क्षति।

सर्वश्रीः रिलायंस एमीनेंट टैडिंग एण्ड कार्मशियल प्रा0 लि0 निजरंनपुर देहरादून टिन सं0 05014914648 वर्ष 2016–17 व्यापारी द्वारा आलोच्य वर्ष में सिविल वर्क का कार्य सर्व श्री वी0 के0 जे0 प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 टिन संख्या 05000444285 से अनुबध सं0 RX5/ 63534871 दिनांक 1.8.2014 किया गया था। इस संबंध में अनुबन्ध संख्या आ0एक्स 5/63534871 का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि, **संविदी** द्वारा संविदाकार को यह कार्य मय मैटिरियल सहित दिया गया है, जिसमें सभी प्रकार की निर्माण सामग्री का क्रय संविदाकार द्वारा स्वंय करके आवंटित निर्माण कार्य को **किए गए** अनुबन्ध के अनुसार पॉच माह **में** पूर्ण करके दिया जाना था, अनुबन्ध की **शर्तो** में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था, कि यदि 1 प्रतिशत लेबर सैस अनुबन्ध की धनराशि का संविदाकार द्वारा राज्य कर को भुगतान किया जाता है, तो वह समर्थित अभिलेख जिनके द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सैस धनराशि जमा की गयी है, उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है तो वह धनराशि 1 प्रतिशत धनराशि का भुगतान **किए गए** अनुबन्ध की धनराशि से अलग करेगे। इस संबंध में यह भी पाया गया कि संगत वर्ष में संविदी विभाग द्वारा रू0 97,92,263.00 Floor Tilling & Dado का क्रय किया गया, जिस पर कोई भी आई0टी0सी0 का लाभ भी नही लिया गया था। क्रय किये गये माल की खपत किस कार्य में की गयी थी, जिसके संबंध में खपत प्रमाण–पत्र भी मॉगा गया था जो कि पत्रावली पर **उपलब्ध** नही था।

इस संबध में **इंगित किए जाने** पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि **चूँकि** व्यापारी संविदी है और उसके द्वारा उक्त माल अपने निजी उपयोग के लिये खरीदा गया है, इसलिये इस पर किसी भी प्रकार की करदेयता नही बनती है। कर निर्धारण आदेश संख्या 1466 दिनांक 4.3.2020 में इन बिन्दुओं का विवेचन करते हुए व्यापारी को करमुक्त घोषित किया गया हैं। जब व्यापारी पर किसी भी प्रकार की करदेयता नही है तो उनको कार्य समाप्ति प्रमाण–7 पत्र, मैटीरियल खपत प्रमाण–पत्र आदि मॉगे गये प्रपत्र क्यो चाहिऐ।

विभाग ने अपने कथन कि व्यापारी द्वारा माल अपने निजी उपयोग हेतु खरीदा गया है के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है अतः उक्त क्रय किए गए वस्तु ₹ 9792263/- को ब्रिकी मानते हुए 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय किया जाना था, जोकि कर ₹ 13,21,955/- निर्धारण अधिकारी द्वारा नही किया गया था। जिससे ₹ 13,21,955.00 राजस्व की क्षति हो गयी। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर-3 ₹ 1,88,199.00 कम कर आरोपित करने से राजस्व क्षति।

फर्म का नामः नोकिया सॉल्यूशन एण्ड नेटवर्क इण्डिया प्रा0लि0 एच0सी0एल0 कम्पाउन्ड देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2015–16 (WTC) में जारी अंतिम कर निर्धारण आदेश (दिनांक 26.06.2019) में दशायी गयी बिक्री जिस पर कर की गणना की गयी है, जो इस प्रकार है। स्टॉक प्राप्ति रू0 4028740.00 स्टॉक ऑउट रू0 4267859.00 है। वर्ष में भारत संचार निगम देहरादून से जारी इनवाइस के सापेक्ष प्राप्त राशि रू0 2,97,87,781.00 Sale WCt Care के अनुसार प्राप्त दर्शायी गयी है। जिस पर 10 प्रतिशत रू0 2,97,8778.00 लेबर का लाभ अनुमन्य करते हुऐ रू0 2,68,09,003.00 पर 5 प्रतिशत की दर से रू0 1340450.00 कर आरोपित किया गया था, व्यापारी द्वारा रू0 1042573.00 चालान से जमा किया है। जिसको उपरोक्त बिक्री पर आरोपित कर समायोजित करने के उपरान्त व्यापरी के विरूद्व रू0 297877.00 की मॉग सृजित की गयी थी। जिसको आदेशा व मॉग प्राप्ति के 60 दिन के भीतर मय 15 प्रतिशत ब्याज सहित दिनांक 1.10.2015 से जमा तिथि तक राजकोष में जमा आदेश दिये गये थे। जिसको व्यापारी द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि तक जमा भी नही किया गया था। प्राप्त भुगतान से सम्बन्धित इनवाइस सम्प्रेक्षा मे मॉगी गयी जिसके आधार पर संविदाकार ने संविदी विभाग भारत संचार निगम लि0 देहरादून से संगत वर्ष में भुगतान प्राप्त किया था।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में कहा गया कि संविदाकार से प्राप्त कर इनवाइस की **छायाप्रतियां उपलब्ध करायी** जा रही है। तथा यह भी अवगत कराया गया कि किन्ही कारणो से या अपेक्षा के अनुसार कार्य न होने के कारण payment कम होना संभव है। केवल संभावना के आधार पर यह मान लेना कि व्यापारी को इतने मूल्य का भुगतान प्राप्त होना चाहिए था, और हो भी गया होगा, इस पर कर लगाया जाना चाहिए था, किसी भी प्रकार से उचित नही है।

विभाग **का** उत्तर मान्य नही है, क्योकि विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा दल को जो 7 इनवाइस उपलब्ध करायी गयी है, **जो निम्न प्रकार हैः-**

बिल संख्या	**दिनांक**	**धनराशि**
5310024830	28.05.2015	₹ 18,61,225/-
5310026174	31.07.2015	₹ 71,25,980/-
5310026176	31.07.2015	₹ 71,25,980/-
5310026175	31.07.2015	₹ 71,25,980/-
5310026177	31.07.2015	₹ 17,82,878/-
5310029130	27.11.2015	₹ 71,57,234/-
5310029131	27.11.2015	₹ 17,90,698/-
		₹ 3,39,69,975/-

उसके अनुसार संगत वर्ष में व्यापारी संविदाकार को भारत संचार निगम लि0 से कुल रू0 3,39,69,975.00 प्राप्त हुऐ थे, यदि उस पर कर निर्धारण अधिकारी अनुसार ही 10 प्रतिशत लेबर का लाभ रू0 33,96,998.00 अनुमन्य कर भी दिया जाये तो कर योग्य बिक्री की धनराशि रू0 3,05,72,986.00 पर 5 प्रतिशत की दर से रू0 15,28,649.00 कर आरोपणीय किया जाना था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में रू0 2,68,09,003 पर 5 प्रतिशत की दर से रू0 13,40,450.00 आरोपित किया गया है। अत: अन्तर धनराशि रू0 37,63,983.00 पर 5 प्रतिशत की दर से रू0 1,88,199.00 कर आरोपणीय किया जाना था, जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने जारी आदेशा में नही किया गया था, जिससे रू0 1,88,199.00 की राजस्व क्षति हो गयी थी, जिसकी वसूली **ब्याज सहित** सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
राजस्व/CT-115/2017-18	01	01,02,03,04,05	-
राजस्व/CT-99/2018-19	01	01	-
राजस्व/CT-81/2019-20	01,02	01	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 7 राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रवीन गुप्ता	डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)- 07, राज्य कर, देहरादून

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV